(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 02 / 2025
पंजीकरण संख्या :— 2025 / 5

बउनवान

मीनाक्षी आयु 48 वर्ष पत्नी स्व. ओमप्रकाश महाजन निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां
(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी नामांतरण संख्या 2745 दर्ज दिनांक 29.06.2018 वाके ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद की अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :— 1— श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक (अपीलांट)
2— पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 29.12.2025

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी नामांतरण संख्या 2745 दिनांक 29.06.2018 वाके ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 24.02.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो अप्राप्त है। प्रकरण मे लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर सर्वप्रथम बहस सुनी जाकर, उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि वाके माल ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद में आराजी खसरा नं. 779 / 1 रकबा 1.00 बीघा तत्कालीन खातेदार चौथमल पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी छीपाबड़ौद से मुताबिक जमाबंदी संवत् 2069—2072 से जरिये रजिस्ट्री अपीलांट द्वारा खरीद की गई थी जिसका इंतकाल नं. 2527 दिनांक 30.06.2016 से अपीलांट के हक में खातेदारी दर्ज की गई थी तबसे अपीलांट काबिज काश्त चला आ रही है। अपीलांट द्वारा उपरोक्त खसरा नं. 779 / 1 रकबा 1.00 बीघा कार्यालय तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद के आदेश क्रमांक राजस्व / 2018 / 105—109 दिनांक 05.04.2018 संपरिवर्तन आदेश से आवासीय भूमि में संपरिवर्तन करा लिया गया था। इस प्रकार उक्त आराजी गैर मुमकिन आबादी में दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन इंतकाल नं. 2743 हल्का पटवारी छीपाबड़ौद द्वारा दिनांक 28.06.2018 को रिपोर्ट की गई जिसकी आई.एल.आर. छीपाबड़ौद द्वारा जांच की गई एवं उसके पश्चात् तहसीलदार साहब छीपाबड़ौद द्वारा दिनांक 29.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 में प्रमाणित किया गया जिसमें खातेदार अपीलांट मीनाक्षी के स्थान पर खाता सरकार आवासीय रूपांतरित आबादी दर्ज कर दिया गया जबकि उपरोक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन आबादी थी लेकिन खातेदार अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। इस प्रकार खाता सरकार गैर कानूनी दर्ज किया गया है। भूमि वर्गीकरण के कॉलम में ही किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज होनी थी तथा खातेदार मालिक अपीलांट हीं दर्ज किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट के पति ओमप्रकाश जी की मृत्यु दिनांक 30.11.2023 को हो चुकी है। उसके बाद अपीलांट द्वारा जानकारी करने पर यह तथ्य सामने आया कि विवादित इंतकाल में खातेदार दर्ज नहीं किया जाकर खाता सरकार कर दिया गया है। इस कारण अपील प्रस्तुत कर न्याय की सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। अपीलांट की कृषि भूमि वर्तमान में खाता सरकार दर्ज रहने से अपीलांट को स्वयं के खाते कब्जे की आराजियात के उपयोग उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये खाता सरकार से वापस अपीलांट के खाते में मालिकाना हक दर्ज करवाये जाने का अधिकारी है। अपीलांट के पति की मृत्यु के बाद अपीलांट को जानकारी होने पर निर्णय नकल के लिये अपने अधिवक्ता से संपर्क कर आवेदन किया गया जिस पर निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। मियाद के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Government of Rajasthan Revenue (Group- IV) Department के No.F.6(6)Rev.6/92/Pt./14 Jaipur Dated 02-04-2007 प्रस्तुत किया गया।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 नामांतरण संख्या 2743 ग्राम छीपाबड़ौद निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट के हक में बतौर मालिक खातेदार दर्ज किये जाने हेतु नया इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि कार्यालय तहसीलदार छीपाबड़ौद के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/105—109 दिनांक 05.04.2018 से मीनाक्षी गोयल पत्नी ओमप्रकाश गोयल की कृषि भूमि खसरा नं. 779/1 रकबा 1.00 बीघा आवासीय में दर्ज करने का आदेश हुआ। उक्त इंतकाल नंबर 2745 दिनांक 29.06.2018 वाके ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ को दर्ज करते समय कृषि भूमि खसरा नं. 779/1 रकबा 1.00 बीघा को खाता सरकार आवासीय रूपांतरित आबादी अंकित कर दिया गया, जो गलत है। उक्त इंतकाल में खाता सरकार के नाम के स्थान पर मीनाक्षी गोयल पत्नी ओमप्रकाश गोयल का नाम अंकित किया जाना चाहिए था।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज पर मनन किया गया जिससे पाया गया कि प्रकरण में उक्त इंतकाल नंबर 2745 दर्ज दिनांक 29.06.2018 वाके ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ दर्ज करते समय संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/105—109 दिनांक 05.04.2018 से मीनाक्षी गोलय पत्नी ओमप्रकाश गोयल की कृषि भूमि खसरा नं. 779/1 रकबा 1.00 बीघा आवासीय में दर्ज करने का आदेश हुआ परंतु रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त इंतकाल दर्ज करते समय कृषि भूमि खसरा नं. 779/1 रकबा 1.00 बीघा को खाता सरकार आवासीय रूपांतरित आबादी अंकित कर दिया गया, जो राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 12 के तहत दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2745 दर्ज दिनांक 29.06.2018 वाके ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, छीपाबड़ौद को प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को सुना जाकर राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 12 के विधिक प्रावधानों के अनुसार नामांतरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **29.12.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ